

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 08 जून, 2023

विषय: सरकारी विभागों की 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निष्प्रयोज्य वाहनों के मूल्यांकन के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि "सरकारी गाड़ियों को निष्प्रयोज्य घोषित करने का मापदण्ड" विषयक शासनादेश संख्या-2747/30-4-97-24केएम/76, दिनांक 04.10.1997 अद्यतन प्रभावी है, जिसके अन्तर्गत वर्तमान में सरकारी विभागों की 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निष्प्रयोज्य वाहनों के मूल्यांकन की कार्यवाही भी गतिमान है।

2- सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी' लागू की गयी है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण में कमी, सड़क, यात्रियों व यानों की सुरक्षा में सुधार ईंधन क्षमता में सुधार, वाहन स्वामियों हेतु अनुरक्षण लागत में कमी आदि लाने के लिए एक पारिस्थितिकी-तन्त्र उत्पन्न करना है। उक्त के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2023 से 15 वर्ष पुरानी सरकारी वाहनों के पंजीयन का पुनर्नवीनीकरण प्रतिबन्धित करते हुए उन्हें स्क्रेप किये जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे वाहनों के निर्वाध स्क्रेपिंग हेतु सुविधा प्रदान किये जाने के दृष्टिगत इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-एस-31037/1/2022-एमएफएच, दिनांक 23.01.2023 द्वारा 15 वर्ष पुरानी प्रत्येक सरकारी वाहन हेतु रिजर्व प्राइस के निर्धारण एवं ऐसे वाहनों के नीलामी हेतु एमएसटीसी द्वारा सर्विस चार्ज वसूल किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् सूत्र (formula)/प्राविधान दिया गया है :-

- I. Reserve Price for End-of-Life Vehicles would be determined as 90% of the value of ferrous scrap component of the vehicle.
- II. The standard formula to drive the percentage of ferrous scrap in End-of-Life Vehicles could be taken at 65% of the Kerb weight of the vehicle. A copy of more than 280 models of more than 10 years old vehicles with their Kerb Weight and ferrous scrap component is enclosed.
- III. Rate of ferrous scrap can be taken as moving average of price of steel scrap during the last three months at the time of deciding Reserve Price of the ELV. The formula shall only be indicative/suggestive of the Reserve Price and the sellers could improvise on it based on the circumstances, products being sold, market competition expected and so on. Further, the Reserve Price shall only be the starting point for the auction process carried out on the portal. The above formula is based on a 'Rule of Thumb' calculation to cover vehicles that could be in varied conditions after a period of 15 years of working or other vehicles deemed to be fit for condemnation.
- IV. Regarding Service Charges to be levied by MSTC for auction of ELVs on the platform developed by them, it is stated that the Company has agreed to exempt service charge for Government vehicles sold up to March, 2023 using their e-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

auCTION platform. From April, 2023 onwards, MSTC will collect nominal transaction fee from the successful RVSFs @ 3% of the sale value, which shall be the responsibility of MSTC to collect it from the RVSFs and the Department concerned shall not be involved in the process.

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 15 वर्ष पुरानी सरकारी वाहनों के रिजर्व प्राइस के निर्धारण तथा ऐसे वाहनों के नीलामी हेतु एमएसटीसी द्वारा सर्विस चार्जेज वसूल किये जाने के सम्बन्ध में इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त सूत्र/प्राविधानों के अनुसार, 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निष्प्रयोज्य सरकारी वाहनों का मूल्यांकन सम्बन्धित विभाग के विभागीय मूल्य-निर्धारक (Valuer) अथवा विभाग द्वारा नामित मूल्य-निर्धारक (Valuer) अथवा एमएसटीसी (मेटल स्क्रेप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन) द्वारा सूचीबद्ध मूल्य-निर्धारक (empanelled valuer) के माध्यम से किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त 15 वर्ष से कम आयु पूर्ण करने वाले सरकारी वाहनों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में पूर्व की भांति पूर्वोक्त शासनादेश संख्या-2747/30-4-97-24केएम/76, दिनांक 04.10.1997 के प्राविधान यथावत् प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
प्रमुख सचिव

संख्या- 20/2023/805(1)/तीस-4-2023-30-4099(099)/63/2023, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सचिव, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य प्रबन्धक, मेटल स्क्रेप ट्रेड कॉर्पोरेशन (MSTC), भू-तल, सीडब्ल्यूसी क्षेत्रीय कार्यालय परिसर, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
8. समस्त संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश(द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय)।
9. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम (द्वारा प्रबन्ध निदेशक कार्यालय)।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग/संबंधित विभाग।
11. विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
12. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3/7
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।